Ministry of Labour & Employment [47 322] Directorate General of Labour Welfare *******

Jaisalmer House, 26 Man Singh Road New Delhi, dated 20.10.2021

CIRCULAR

Sub: Filling up of 1 (one) post of Welfare Administrator (HQ), Gr. B Gazetted in the Office of the Directorate General of Labour Welfare (DGLW), Ministry of Labour & Employment (MoLE), New Delhi in the pay scale of Rs. 44,900 - Rs.1,42,400 (Level 7 as per 7th CPC) on deputation basis - reg.

One post of the Welfare Administrator (HQ), Gr. B Gazetted is to be filled in the Office of Directorate General of Labour Welfare (DGLW), Ministry of Labour & Employment, Jaisalmer House, Mansingh Road, New Delhi in the pay scale of Rs.44,900 - Rs.1,42,400 (Level 7 as per 7th CPC) on transfer or deputation basis. The eligibility conditions are as follows:

- (1) Officer under the Central Government:
- a. (i) Holding analogous posts on a regular basis; or
 - (ii) With 3 years regular service in the post in the scale of Rs. 5500-9000,) [Rs.35,400 Rs.1,12,400 level 6 as per 7th CPC] or equivalent, or
 - (iii) 8 years regular service in post in the scale of Rs. 1400-2300/2600/Rs. 5000-8000 (pre revised) [Rs.35,400 Rs.1,12,400 level 6 as per 7^{th} CPC] or equivalent and
- b. Possessing the following qualifications and experience: -
- Degree from a recognized University or equivalent;
- ii. Two years' experience of work relating to Commissions and Committees;
- iii. Working knowledge of Hindi;
- iv. Knowledge of Computer is desirable.
- v. Diploma in Law, Labour Relations or Labour Welfare or Labour Laws or Industrial Relations or Sociology or Commerce or Social Work or Welfare Business Administration or Personnel Management from Recognized University or Institute would be desirable.

(2) The Departmental Stenographer Grade-I with 3 years' regular service in the grade will also be considered and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The Departmental Officers is the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

- (3) The terms of deputation will be regulated in accordance with instructions contained in the Ministry of Finance O.M. No. E. 1 (11) E(111) B-75 dated 7th November, 1975 as amended from time to time.
- 2. It is requested that the application in the prescribed proforma (copy enclosed) duly recommended by the Controlling Officer (through Cadre Controlling Authority) of the interested and eligible officers along with their up to date ACRs / APARs (attested photo copies of last five years) and vigilance clearance may be sent to Shri Sudip Dutta, Under Secretary, Office of the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour & Employment, Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi *latest* by 13.11.2021

(Sudip Dutta)
Under Secretary to the Govt. of India

Distribution:-

- 1. All Ministries / Departments of Government of India
- All Sections in Main Secretariat, Ministry of Labour & Employment
- 3. Office of CLC(C) (10 spare copies)
- 4. Admn. Section of O/o DGE
- 5. All Welfare Commissioners in Labour Welfare Organisation
- 6. All sections in O/o DGLW, Jaisalmer House, New Delhi
- 7. NIC / IT Cell to upload on Ministry's website
- 8. Spare copies 10

PROFORMA

- 1. Name:
- 2. Date of Birth:
- 3. Educational Qualifications:
- 4. Present Post held with date & Pay scale and pay therein:
- 5. Date of appointment to the post on regular basis:
- 6. Experience:
- 7. Any other information regarding suitability for the post:
- 8. Whether belongs to SC/ST:

(Signature of the Applicant)

The information given by the applicant has been verified from the official records and has been found correct.

(Signature of Controlling Officer) (With Stamp)

सं ए – 11016/04/2002-डब्ल्यू.। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण महानिदेशालय

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक %.10.2021

परिपत्र

विषय: श्रम कल्याण महानिदेशालय के कार्यालय (डीजीएलडब्ल्यू), श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई), नई दिल्ली में रु.44,900 - रु. 1,42,400 सातवे वेतन आयोग के अनुसार स्तर – 7 में कल्याण प्रशासक (मुख्यालय), ग्रेड बी राजपत्रित के 1 (एक) पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु

श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू), श्रम और रोजगार मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, मानिसंह रोड, नई दिल्ली रु.44,900/- - रु. 1,42,400/- सातवे वेतन आयोग के अनुसार स्तर – 7 में कल्याण अधिकारी (मुख्यालय), ग्रेड बी राजपत्रित के एक पद को स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है:

(1) केन्द्रीय सरकार के वैसे अधिकारी जो :

(क.) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हैं; अथवा

- (ii) 5500-9000/- रु (संशोधन-पूर्व) रु.35,400 रु. 1,12,400 सातवे वेतन आयोग के अनुसार स्तर 6 के वेतनमान में पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, अथवा
- (iii) रु.35,400/- रु. 1,12,400 सातवे वेतन आयोग के अनुसार स्तर □□ 6 के वेतनमान [रु.1400-2300/2600 अथवा रु. 5000- रु.8000) (संशोधन पूर्व) में पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष, और
 - (ख.) जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव हों :-

i किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष;

ii आयोगों तथा समितियों से संबंधित कार्य का दो वर्षों का अनुभव;

iii हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान;

iv. कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय है।

v. कानून में डिप्लोमा, संबंध या श्रम कल्याण या श्रम कानून या औद्योगिक संबंध या समाजशास्त्र या वाणिज्य या सामाजिक कार्य या कल्याण व्यवसाय प्रशासन या कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा वांछनीय है।

(2) ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ विभागीय आशुलिपिक ग्रेड—। पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसे पद पर नियुक्ति के लिए चयनित कर लिया जाता है तो इस पद

को पदोन्नति से भरा गया माना जाएगा।

(फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य

संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्य तौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

- (3) प्रतिनियुक्ति की शर्तों को वित्त मंत्रालय के दिनांक 7 नवंबर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई. 1(11) ई (111) बी-75, समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 2. अनुरोध है कि इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों के आवेदन जो उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत अनुशंसित हों (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से), को विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में अद्यतन एसीआर/एपीएआर (पिछले पाँच वर्षों की अनुप्रमाणित फोटोप्रतियां) तथा सतर्कता अनापत्ति के साथ श्री सुदीप दत्ता, अवर सचिव, श्रम कल्याण महानिदेशक का कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली को 13.11.2021 तक भेज दें।

सुदीप दना

(सुदीप दत्ता) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23385241

वितरण:

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 2. मुख्य सचिवालय के सभी अनुभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय
- 3. प्रशा.। अनुभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
- 4. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय (10 अतिरिक्त प्रतियां)
- 5. प्रशा. अनुभाग, रोजगार महानिदेशक का कार्यालय
- 6. श्रम कल्याण संगठन के सभी कल्याण आयुक्त
- महानिदेशक श्रम कल्याण के कार्यालय के सभी अनुभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली
- 8. एनआईसी/आईटी प्रकोष्ठ को मंत्रालय की वेबसाईट पर डालने हेतु
- 9. अतिरिक्त प्रतियां 10

प्रपत्र

- 1. नाम:
- 2. जन्म तिथि:
- 3. शैक्षिक योग्यताएं:
- 4. वर्तमान पद, तिथि और वेतनमान और उसमें वेतन सहित:
- 5. पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि:
- 6. अनुभवः
- 7. पद के लिए उपयुक्तता से संबंधित कोई अन्य जानकारी:
- 8. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं:
- 9. तकनीकी योग्यता, यदि कोई हो:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सरकारी अभिलेखों से सत्यापित कर ली गई है और इन्हें सही पाया गया है।

> (नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर) (मुहर)